न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 65/2012 प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 1 सीपीसी

सुरजाराम **बनाम** **सरकार**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 सीपीसी विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2012 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 7/2008 अनवानी सुरजाराम आदि बनाम सरकार

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता प्रार्थी

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः–24.11.2017

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर द्वारा अनवानी वाद सुरजाराम बनाम स्टेट निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.07 के विरूद्ध उपरोक्त अनवानी अपील प्रस्तुत की थी जिसमे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.05.12 को निर्णय व डिक्री पारित करके प्रार्थी की अपील खारिज की है। उक्त निर्णय व डिक्री मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है और यह निर्धारित किया है कि वाद साबित नही किया है व क्लीन हैण्ड नही आए है। विचारण न्यायालय व हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे दस्तावेज व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का सहबन से कोई विवेचन नही किया गया है इसलिए प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपील व वाद मे यह स्पष्ट कथन किया है कि चक 5 केडब्ल्यूएम मे 52.19 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी जिसकी पर्चा खतौनी प्रदर्श–1, नकल नक्शा प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2034 से 37 प्रदर्श–3 प्रस्तुत की थी जिसमे भूमि प्रथम दृष्टया प्रार्थी के नाम से दर्ज होना साबित है। प्रदर्श–1 मे पटवारी हल्का द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के 13.12 बीघा भूमि वन विभाग के नाम से अंकित की है। उक्त दस्तावेजो का निर्णय व डिक्री मे किसी प्रकार का विवेचन नही है जो अभिलेख मे स्पष्टतः अभिलक्षित होने वाली भूल है। प्रार्थी ने वाद मे अपनी खातेदारी भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व बिना अवाप्ति की कार्यवाही किए भूमि वन विभाग के नाम से दर्ज करने की कार्यवाही को शून्य होने का कथन करते हुए भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा था। विचारण न्यायालय एवं श्रीमान न्यायालय मे वन विभाग द्वारा न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया है व ना ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की है। इसलिए प्रार्थी का वाद स्वतः ही साबित है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि नकल जमाबंदी पर्चा खतौनी प्रदर्श–1 मे लाल स्याही के नोट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि 13.12 बीघा वादग्रत भूमि वन विभाग के नाम सन् 1983 से दर्ज चली आ रही है। विचारण न्यायालय एवं हाजा न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे प्रस्तुत दस्तावेजात का पूर्ण अवलोकन करते हुए तथा दस्तावेजात के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी रिव्यु प्रार्थना पत्र के आधार पर पुनः अपील मे कार्यवाही का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 सीपीसी खारिज किया जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर द्वारा अनवानी वाद सुरजाराम बनाम स्टेट निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.07 के विरूद्ध उपरोक्त अनवानी अपील प्रस्तुत की थी जिसमे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.05.12 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए यह उल्लेखित करते हुए अपील खारिज की गई कि विचारण न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पर्चा खतौनी प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत 53 बीघा 18 बिस्वा कमांड भूमि खातेदारी दर्ज थी परन्तु उक्त पर्चा खतौनी प्रदर्श–1 मे लाल स्याही से नोट अंकित है, जिससे यह साबित होता है कि प्रश्नगत 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि वन विभाग के नाम सन् 1983 मे दर्ज की गई। तभी से यह भूमि वन विभाग के नाम चली आ रही है। अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित हो कि उसका प्रश्नगत भूमि पर कब्जा हो। यहां अपील स्तर पर भी अपीलांट ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे उसका वाद साबित हो। इस प्रकार अपील संख्या 7/2008 अनवानी सुरजाराम बनाम सरकार मे पारित किया गया निर्णय दिनांक 21.05.2012 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विवेचन करते हुए किया गया है जिसमे किसी प्रकार प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण एवं प्रार्थी द्वारा औचित्यपूर्ण कारण स्पष्ट नही होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 1 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ